न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1577–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2003 पारित व्दारा – तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी

मुस0अख्तरी खान बेगम (मृतक)

वरिस

1. मुस0हामदा वेगम पत्नि स्व.मुईद
2. परबेज खान सभी नावालिग पुत्रगण
3. अ.मालिक मुईद खॉ
4. अब्दुल जावेद बलीमा हामदा
5. खुर्शीद बेग बेगम वेवा मुईद खां
6. तोसिफ
7. आसिफ
8. मुस0 जमसेद

सभी निवासीगण ग्राम पताई
तहसील व जिला सिवनी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सफी उरहमान खां 2– जताउर रहमान
3– रजाउर रहमान 4– इवादुर रहमान
पुत्रगण नसरूला खॉ निवासीगण छुई तहसील सिवनी
5– इकवाल गनी 6– इकवाल वसी
निवासीगण मुनगापार तहसील व जिला सिवनी ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 06-11-2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी में पारित दिनांक 25-6-2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सफीउर रहमान, अलाउर रहमान, रजाउर रहमान,इवादुर रहमान ने आवेदन देकर मांग की कि उन्होंने दिनांक 21.6.1974 को ग्राम थानागढ़ा स्थित भूखंड क्रमांक 4,5,8,10 कुल रकबा 25.248 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) मुस0 अख्तरी खान एंव हामदा वेगम से क्रय किया है इसलिये नामान्तरण किया जावे। इकवाल गनी एंव इकवाल बसी खॉ ने सम्मिलित रूप से आपत्ति की कि उन्हें इन भूमियों पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 कीधारा 168/190 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं क्योंकि इन भूमियों पर उनका सिकमी आधिपत्य चला आ रहा है । नायव तहसीलदार सिवनी ने प्रकरण दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23-2-1978 पारित किया तथा निर्णय लिया कि इकवाल गनी एंव इकवाल बसी खॉ को उक्त भूमि पर भूमिस्वामी हक प्राप्त हो चुके है इसलिये सफीउर रहमान, अलाउर रहमान, रजाउर रहमान,इवादुर रहमान का विक्रय पत्र के आधार पर चाहा गया नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के समक्ष अपील क्रमांक 65 अ-6/1978-79 प्रस्तुत की गई,

जो आदेश दिनांक 29-6-79 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ।

इसी दरम्यान बंदोवस्त कार्यवाही प्रारंभ होने पर प्रकरण नायव तहसीलदार सिवनी से सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क-2 सिवनी को हस्तांतरित हुआ, जहॉ सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13-7-1984 से बादग्रस्त भूमि पर सफीउर रहमान, अलाउर रहमान, रजाउर रहमान,इवादुर रहमान का नामांत्रण करना स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी, सिवनी के समक्ष अपील क्रमांक 34/अ-6/1983-84 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 1990 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर इकवाल गनी खां एंव इकवाल बसी खॉ का कब्जा प्रमाणित होने से भूमिस्वामी अधिकारों का अर्जित होना माना गया एंव सफीउर रहमान, अलाउर रहमान, रजाउर रहमान,इवादुर रहमान को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण का अधिकार नहीं होने के आदेश दिये गये।

बंदोवस्त अधिकारी, सिवनी के आदेश दिनांक 24 जनवरी 1990 के विरूद्ध द्वित्तीय अपील अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 11/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-3-1995 से अपील समयवाह्य प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत होने पर तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी में पारित दिनांक 25-6-2003 से

निगरानी अस्वीकार की । इसी आदेश को पुर्नविलोकित किये जाने हेतु यह आवेदन दिनांक 23-10-2003 से लम्बित है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी तथा अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 11/1989-90 अपील का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन के जो आधार बताये हैं उसमें बताया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 5 व 6 का धारा 190 व 110 का दावा कब्जे के आधार पर लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक क्र-1 मुस. आमदा वेगम वेवा एंव आवेदक 3 से 8 नावालिक है। पुनरावलोकन प्रकरण धारा 190/110 के दावा के विचार हेतु नहीं है अपितु राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी तथा अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 11/1989-90 में समयवाहय अपील प्रस्तुत के विचार मात्र तक सीमित है कि बंदोवस्त अधिकारी, सिवनी के आदेश दिनांक 24 जनवरी 1990 के विरूद्व अपर आयुक्त, बंदोवस्त के समक्ष द्वित्तीय अपील क्रमांक 11/1989-90 अपील अवधि वाह्य प्रस्तुत होने के कारण आदेश दिनांक 23-3-1995 से निरस्त हुई है जिसे तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी में पारित दिनांक 25-6-2003 से यथोचित ठहराया है। आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान

नहीं करा सके कि तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर से आदेश दिनांक 25-6-2003 पारित करते वक्त समयावधि के बिन्दु पर ऐसी कौनसी भूल हुई है, जिसके कारण उन्होंने अपर बॅदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 23-3-1995 में हुई त्रृटि को वह पकड़ नहीं सके है, क्योंकि म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में किसी आदेश का पुनरावलोकन करने हेतु निम्न आधार दर्शाए हैं :-

(I) किसी नई और महत्वपूर्ण विषयवस्तु या साक्ष्य की खोज होने से जो उचित परिश्रम करने के वाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी या जो उस समय जब डिक्री पारित हुई या आदेश दिया गया उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती।

(II) किसी ऐसी भ्रांति पूर्ण गलती **Mistake** या भूल जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हो,

(III) किसी अन्य पर्याप्त कारण से, यह निवेदन करता है कि डिक्री या आदेश जो उसके विरुद्व दिया गया है उसका पुर्नविलोकन किया जाय तो वह उस न्यायालय में जिसने ऐसी डिक्री या आदेश दिया है - आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जो वह न्योचित समझे।

आवेदकगण के अभिभाषक उक्तानुसार समाधान नहीं करा सके है। विचारण न्यायाय में प्रकरण वर्ष 1973-74 से चला है और आज की स्थिति में 41 वर्ष वे अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है अपर बंदोवस्त आयुक्त ने अपील समयवाह्य मानकर विस्तृत

विवेचना करते हुये आदेश दिनांक 23-3-1995 से निरस्त की है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - समयवर्जित अपील सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है - अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय-वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है अथवा विलम्ब क्षमा कर सकता है किन्तु उसके गुणागुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है।

   रामलाल वि.रामचंद स्वामी 1967 **J.L.J.S.N.** 43 से अनुसरित

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

जबकि अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 11/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 23-3-1995 में एंव तत्का. सदस्य , राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.6.2003 में समयावधि के बिन्दु पर विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये हैं जिनमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन वास्तविकता के विपरीत पाये जाने तथा सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। फलतः तत्का. राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 443/1995 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.6.2003 यथावत् रहता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर